न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 20/2013 **दायर दिनांकः 04.03.2013**

उनवान

1. जगन्नाथ आयु 70 वर्ष पुत्र लल्लू जाति मीणा निवासी मुवाखेडा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर. टी. एक्ट.
बाबत इन्द्राज दुरूश्ती एवं घोषणा

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री नरेन्द्र सिंह चौहान।
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

निर्णय **दिनांक 09/06/2022**

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल कूण्डी तहसील अटरू जिला बारां में वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 456 का ख0नं0 879 का रकबा 4 बीघा आराजी स्थित थी। उक्त आराजी वादी को दिनांक 14.06.1974 को आवंटित हुई थी। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 1588 का रकबा 0.47 है0 बना दी है। वाद पत्र के साथ मे नकल जमाबन्दी संवत 2036 से 2039, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नवीन जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 पेश है जो काबिल गौर है। वादी दिनांक 14.06.1974 से ही पुराने ख0नं0 879 को रकबा 4 बीघा पर काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजी के चारों और पत्थर की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा सेटलमेन्ट करते समय नवीन ख0नं0 1588 का रकबा 0.47 है0 बनाकर खदी के खाते में 0.17 है0 आराजी कम कर दी जबकि वादी आज भी 0.64 है0 पर काबिज काश्त है। इस वजह से वादी यह वाद पेश कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की

डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावे कि इन्द्राज दुरूस्त करते हुये पुराने राजस्व रिकार्ड के मुताबिक आराजी वादी के खाते दर्ज की जावे जिस पर वह काबिज है अर्थात कम हुआ रकबा 0.17 है0 का नवीन ख0न0ं बनाकर वादी के खाते दर्ज की जावे जिससे राजस्व रिकार्ड में वादी का कम हुआ रकबा पूरा हो सके। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 01.04.2012 को प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारी द्वारा वादी को कम हुये रकबे को राजस्थान सरकार दर्ज करने की धमकी देने पर तथा अन्तिम बार 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय को धारा 80 सी.पी.सी. का रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर दिया है जिसकी अवधि समाप्त होने पर वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल कूण्डी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परीशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय के द्वारा सुनने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र पेश कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावेः—

(अ) इन्द्राज दुरूस्त करते हुये पुराने राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वादी का कम हुआ रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम एवं माल कूण्डी तहसील अटरू जिस पर वादी काबिज है का नवीन ख0नं0 बनाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि ग्राम कुंडी की आराजी ख0नं0 1588 रकबा 0.47 है0 जो कि जगन्नाि पुत्र लल्लू मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड हैं उक्त संपूर्ण भूमि पर वर्तमान में जगन्नाथ पुत्र लल्लू जाति मीणा द्वारा ही कब्जा काश्त किया हुआ है।

3. साक्ष्यवादी के तहत जगन्नाथ पुत्र लल्लू जाति मीणा के शपथ बयान गवाह लेखबद्ध किये गये। गवाह ने अपने सशपथ बयान में बताया कि मेरे ग्राम कूण्डी के माल में ख0नं0 879 का रकबा 4 बीघा जमीन सन 1974 में आवंटन हुई थी जिसके मेरे को कब्जा दिया गया था अभी भी में इस जमीन को शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा हूॅ लेकिन सेटलमेन्ट के कर्मचारियों ने खाते में 1 बीघा 1 बिस्वा जमीन कम कर दी जिस पर में काबिज हूॅ। मौके पर में पूरे रकबे पर ही काबिज हूॅ केवल रिकार्ड मे मेरे 0.17 है0 कम हुआ है। इस वजह से इन्द्राज दुरूस्त करते हुए पुराने रकबे के मुताबित नया रकबा दर्ज किया जावे अर्थात 0.17 है0 का नया ख0नं0 बनाकर मेरे खाते दर्ज किया जावे। मेरे रिकार्ड में कम हुआ रकबा पूरा किया जावे।

4. अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी। उपरोक्त बहस के आलोच्य में पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। वादी द्वारा पेश जमाबंदी संवत 2036–39 (प्रदर्श–4) के अनुसार साबिक ख0नं0 879 रकबा 4 बीघा वादी जगन्नाथ पुत्र लालू मीना के खाते दर्ज है। जिसका द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान नया ख0नं0 1588 रकबा 0.47 है0 बनाया गया (प्रदर्श–5) तहसील क्षेत्र अटरू में 132 फीट की जरीब प्रचलित है जिसके अनुसार 1 है0 में करीब 6.24 बीघा भूमि होती है। उक्त मापदण्ड के अनुसार प्रार्थी के खाते की 4 बीघा भूमि का बाद सेटलमेन्ट नया रकबा 0.64 है0 होना चाहिऐ लेकिन प्रदर्श–3 व प्रदर्श–5 के अनुसार यह 0.47 है0 ही दर्ज किया गया जो मूल रकबे से 0.17 है0 कम है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि दौराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों द्वारा वादी की खातेदारी भूमि का रकबा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश 0.17 है0 कम कर दिया था।

अब प्रश्न यह है कि वादी का कम किया हुआ रकबा किस खसरे/खेत में बढाया गया है ? इसे सिद्ध करने का भार स्वयं वादी पर है। सामान्यतः यह देखा गया है कि किसी खसरे का कम किया हुआ रकबा उसके आस पास के खसरे या खसरों में बढा दिया जाता है। वादीगण को इसे सिद्ध करने हेतु कई अवसर दिये गये लेकिन वादी द्वारा न तो आसपास के खसरों का मिलान क्षेत्रफल पेश किया और न ही सेटलमेन्ट से पूर्व का एवं बाद का नजरी नक्शा पेश किया।

मौके की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए वादी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार अटरू को मौका कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट तलब की गई जो निम्नानुसार हैः– तहसीलदार अटरू द्वारा वादी के पुत्रों की उपस्थिति में तैयार की गई मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी मौके पर 0.47 है0 भूमि पर ही कब्जा काश्त है न कि 0.67 है0 भूमि पर। इस प्रकार न तो मौका

कमिश्नर की रिपोर्ट और न ही पेश दस्तावेज वादी व साक्ष्यवादी pw1 के मौके पर 4 बीघा यानी 0.64 है0 भूमि पर कब्जे काश्त करने के कथन का समर्थन करते है। संक्षिप्त में, वादी अपने क्लेम को साबित करने में विफल रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 **खारिज** किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **09.06.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां